कार्यालय जिला परिषद, हजारीबाग।

–: आम सूचना :–

एत्द द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, निजी बस पड़ाव में लगने वाले वाहनों से चुंगी वसूली हेतु बन्दोबस्ती वर्ष 2020–21 के लिए दिनांक 26/02/2020 को 3:00 बजे अपराहन् में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, हजारीबाग के सभागार में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा की जायगी। नियम एवं शर्ते तथा अन्य जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट अथवा Web Site- www.hazaribag.nic.in पर देखा जा सकता है।

जो व्यक्ति बन्दोबस्तो में भाग लेना चाहते है, वे निम्नलिखित **शर्तों** का अनुपालन करते हुए निर्धारित समय पर डाक में भाग ले सकते है।

–: शर्ते :–

1. बन्दोबस्ती वर्ष 2020–21 (एक वर्ष) के लिए की जायगी।
2. डाक बोलने वाले को डाक में भाग लेने के पूव इस वर्ष की सुरक्षित जमा राशि 23,34,500.00 (तेईस लाख चौतीस हजार पांच) रूपये का पन्द्रह प्रति"ात 3,50,175.00 (तीन लाख पचास हजार एक सौ पचहतर) रूपये जमानत के रूप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जिला परिषद, हजारीबाग के पदनाम से जिला परिषद, हजारीबाग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. उच्चतम बोली द्वारा निर्धारित रा"ि पर बंदोबस्तधारी को सरकार द्वारा निर्धारित GST अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
4. असफल जमाकर्त्ताओं की जमानत की रा"ि डाक समाप्ति के तुरंत बाद वापस कर दी जायगी।
5. जिन व्यक्तियों के पास इस बंदोबस्ती से संबंधित पूर्व में कोई बकाया राशि है तो वे डाक में भाग लेने के पूर्व बकाया राशि जमा करेंगे, अन्यथा उन्हें डाक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।
6. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपना पहचान पत्र/पैन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा तथा मूल कागजात साथ में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. जिला परिषद निजी बस पड़ाव में लगने वाले वाहनों से चुंगी वसूली की निर्धारित दर यथा बड़े वाहनों से 30.00 रूपये, मंझलो आकार के वाहन से 20.00 रूपये तथा छोटे वाहनों से 10.00 रूपये की दर पर चुंगी वसूली की जायगी। इसके सबूत में छपी हुई रसीद की एक प्रति वाहन चालक को देनी होगी। बस पड़ाव में अवस्थित स्टॉल, कैन्टीन, अस्थायी "ोड तथा ठेला से टॉल की वसूली का अधिकार जिला परिषद के पास रहेगा।
8. बन्दोबस्तधारी द्वारा सभी "ार्त्तो को पूरा करने की स्थिति में निबंधित एकरारनामा किया जाना अनिवार्य है। एकरारनामा के पश्चात् चुंगी वसूली का आदे"ा निर्गत किया जायगा।
9. बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती की पूर्ण रा"ि की 50 प्रति"ात रा"ि बन्दोबस्ती के तुरंत बाद तथा अव"ोष रा"ि को तिमाही किस्तों में जमा करना अनिवार्य होगा।
10. डाक की सुरक्षित जमा रा"ि 23,34,500.00 (तेईस लाख चौतीस हजार पांच) रूपये है।
11. बस स्टैण्ड के उन्नयन/जिर्णोद्धार के लिए किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के कारण स्टैण्ड के अन्दर वाहनों के परिचालन में अस्थायी व्यवधान हो सकता है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त उल्लेखित शर्तो में कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं उक्त परिस्थिति में बंदोबस्तधारी द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
12. निबंधन एवं एकरारनामा स्टाम्प "ाुल्क की राशि बन्दोबस्तधारी को वहन करना होगा।
13. जिला परिषद निजी बस पड़ाव की प्रतिदिन साफ–सफाई, "ाौचालय सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं अन्य आव"यक कार्य बन्दोबस्तधारी को ही सम्पादित करना होगा।
14. बिना कारण बताये डाक को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

उप विकास आयुक्त,
–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, हजारीबाग।